गेल (इंडिया) लिमिटेड

भौतिक सहायक कंपनी (कंपनियों) के लिए नीति

1. प्रस्तावना

इस नीति को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) के विनियम 16(1)(ग) के तहत उल्लिखित आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है।

2. परिभाषाएं

"कंपनी" का अर्थ है गेल इंडिया लिमिटेड।

"बोर्ड" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(10) में परिभाषित निदेशक मंडल।

"लेखा-परीक्षा समिति" का अर्थ है सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के विनियम 18 के प्रावधानों के तहत समय-समय पर गठित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति।

"भौतिक सहायक कंपनी" का अर्थ ऐसी सहायक कंपनी होगी, जिसकी आय या निवल मूल्य तत्काल पूर्व लेखा वर्ष में सूचीबद्ध कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के क्रमश: संचित आय या निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है।

"सहायक कंपनी" का अर्थ है ऐसी सहायक कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) में परिभाषित किया गया है और इसके तहत संशोधन किए गए हैं।

3. सेबी (एलओडीआर) के विनियम, 2015 के नियम 24 के अनुसार कारपोरेट शासन आवश्यकता,

क. असूचीबद्ध भौतिक सहायक कंपनी

1. कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, किसी असूचीबद्ध भौतिक सहायक कंपनी, चाहे भारत में निगमित हो अथवा नहीं, के निदेशक मंडल में एक निदेशक होगा।

स्पष्टीकरण - इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, विनियमन 16 में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, "भौतिक सहायक" शब्द का अर्थ ऐसी सहायक कंपनी होगा, जिसकी आय या निवल मूल्य तत्काल पूर्व लेखा वर्ष में सूचीबद्ध कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के क्रमशः संचित आय या निवल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है।

2. गेल की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से, असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश की समीक्षा भी करेगी।

3. असूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. गेल का प्रबंधन वार्षिक आधार पर सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण कंपनी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाएगा।

स्पष्टीकरण: "महत्वपूर्ण लेन-देन या व्यवस्था" का अर्थ किसी भी व्यक्तिगत लेन-देन या व्यवस्था से होगा जो तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए असूचीबद्ध सहायक कंपनी के कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल परिसंपत्तियों या कुल देनदारियों के 10% से अधिक हैं या होने की संभावना है, जैसा भी मामला हो।

5. गेल विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना:

क) अपनी भौतिक सहायक कंपनी में शेयर का निपटान नहीं करेगा जिससे उसकी शेयरधारिता (या तो स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ) 50% से कम या 50% हो जाए या सहायक कंपनी पर नियंत्रण समाप्त हो जाए, ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां ऐसा विनिवेश *संकल्प योजना के तहत विधिवत अनुमोदित व्यवस्था योजना के तहत या ऋणशोधन क्षमता (इंसॉल्वेंसी) संहिता की धारा 31 के अंतर्गत न्यायालय/ अधिकरण के तहत किया जाता है और ऐसी घटना को संकल्प योजना को अनुमोदित किए जाने के एक दिन के अंदर मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाता है।*

ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर भौतिक सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों के 20% से अधिक की परिसंपत्तियों को बेचना, निपटाना या पट्टे पर देना, जब तक कि ऐसा न्यायालय / अधिकरण *द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था योजना के तहत या विनिवेश ऋणशोधन क्षमता (इंसॉल्वेंसी) संहिता की धारा 31 के अंतर्गत संकल्प योजना के तहत न किया जाए और ऐसी घटना को संकल्प योजना को अनुमोदित किए जाने के एक दिन के अंदर मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाता है।*

6. कंपनी के भारत में निगमित प्रत्येक भौतिक असूचीबद्ध सहायक कंपनी सचिवालय लेखा-परीक्षा करेगी और इसके साथ कंपनी सचिव द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष से विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसे प्रपत्र में दी गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सचिवालय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करेगा।

टिप्पण:

- जहां कंपनी की कोई सूचीबद्ध सहायक कंपनी है, जो स्वयं एक धारिता कंपनी है, वहां इस नीति के प्रावधान सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर जहां तक इसकी सहायक कंपनियों का संबंध है, लागू होंगे।

4. प्रकटीकरण

"भौतिक सहायक कंपनी (कंपनियों) पर नीति" का कंपनी की वेबसाइट पर उल्लेख किया जाएगा और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 46 और इसके तहत किए गए संशोधनों के संदर्भ में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

5. संशोधन

6 फरवरी, 2015 को आयोजित अपनी 332वीं बोर्ड की बैठक में गेल ने जब कभी सूचीबद्ध करार(रों) के प्रावधानों; कंपनी अधिनियम 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों में परिवर्तन/ संशोधन करने की आवश्यकता हो, भौतिक सहायक कंपनी (कंपनियों) की नीति में संशोधन करने के लिए सीएमडी को अधिकृत किया था।”